B- III
L- 36
MIH

पूना समझौता सितंबर 1932

- राजेन्द्र प्रसाद, मालवीय जी, एम॰ सी राजा इत्यादि नेताओं के प्रयासों से डॉ अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच समझौता हुआ।

प्रावधान :-

- दलितों को पृथक निर्वाचन के आधार पर सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।
- केन्द्रीय विधान मण्डल में निर्धारित स्थान से 18 प्रतिशत अधिक स्थान दलितों के लिए आरक्षित होंगे।
- प्रांतीय विधान मण्डल मे 71 के स्थान पर 147 स्थान दलितों के लिए आरक्षित होंगे।
- प्रशासनिक सेवा एवं शैक्षणिक संस्थाओं मे दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

नोट :-

ब्रिटिश सरकार ने भी इस समझौते को मान्यता प्रदान की।

Scanned by CamScanner

भारत सरकार अधिनियम 1935

पृष्ठभूमि :-

- 1919 के अधिनियम से राष्ट्रवादियों में असंतोष,
- 1919 के अधिनियम में ही 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग के गठन का प्रावधान था।
- सरकार के द्वारा साइमन आयोग का गठन किया गया और आयोग की रिपोर्ट पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी की गई।
- इसी दिशा में तीन गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और मैकडोनाल्ड अवार्ड श्वेतपत्र इत्यादि प्रक्रिया से आगे गुजरते हुए 1935 का अधिनियम पारित किया गया।
- हालांकि इस अधिनियम के पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन का व्यापक दबाव कार्य कर रहा था जैसे- साइमन विरोधी आन्दोलन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आन्दोलन इत्यादि।
- इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारी गतिविधियां, मार्क्सवादी गतिविधियाँ इत्यादि का दबाव भी सरकार महसूस कर रही थी।

प्रावधान :-

- केन्द्रीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान, आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अन्तर्गत रक्षा, विदेश, संचार. इत्यादि विषय थे।

Scanned by CamScanner

इसकी जिम्मेदारी वायसराय एवं उसके परिषद पर थी।

- हस्तांतरित विषय की जिम्मेदारी वायसराय एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों पर थी। अल्पसंख्यक, अंग्रेजों के व्यापारिक हित, भारत की सुरक्षा, सिविल सेवक इत्यादि को आधार बनाते हुए वायसराय निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता था।

- विधायिका → द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान

(a) राज्य परिषद - 260 → 104 - रियासतों के प्रतिनिधि
प्रत्यक्ष चुनाव

(b) संघीय विधान सभा - 375 → 125 रियासतों से
(अप्रत्यक्ष चुनाव)

- ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था एवं देशी रियासतों से सदस्यों का मनोनयन किया जाना था।
- विधानमण्डल के द्वारा पारित विधेयक को वायसराय के द्वारा रोका जा सकता था और पारित न होने की स्थिति में वायसराय को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार भी था।
- रियासतों को शामिल होने के लिए दो शर्तों को पूरा करना था

(i) रियासतों के लिए निर्धारित स्थानों में से कमसेकम

Scanned by CamScanner

50 प्रतिशत स्थानों वाली रियासतें इसमें शामिल होने को तैयार हो।

(ii) रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें इसमें शामिल होने को तैयार हों चूँकि ये शर्तें पूरी नहीं हुई इसलिए रियासत इसमें शामिल नहीं हुए तथा केन्द्रीय कार्यपालिका एवं विधायिका का प्रावधान लागू नहीं हुआ और भारत में केन्द्रीय सरकार का संचालन 1919 के अधिनियम के अनुसार ही जारी रहा।

- संघीय न्यायलय एवं श्रेणी वद्ध न्यायलय के गठन का विस्तार से प्रावधान - संघीय न्यायलय को ही आजादी के पश्चात उच्चतम न्यायलय कहा गया।
- विषयों का तीन भागों में बंटवारा किया गया संघसूची, राज्यसूची एवं समवर्ती सूची
- अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के हाथों में केन्द्रित थी।
- संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोकसेवा आयोग के गठन का प्रावधान।

प्रांतीय सरकार :

- प्रांतीय गवर्नर को सीधे क्राउन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया (प्रांतीय स्वायत्तता)
- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार

Scanned by CamScanner

का गठन किया गया।

- प्रांतीय गवर्नर को भी विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई थी तथा विधान मण्डलों से पारित विधेयकों को रोकने का अधिकार। (कुछ परिस्थितियों में)
- प्रांतीय विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव (1919 में भी यह प्रावधान)

अन्य प्रावधान :-

- सिंध एवं उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया।
- उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा।
- बर्मा को भारत से अलग किया गया।
- भारत में केन्द्रीय बैंक के गठन का प्रावधान किया गया।
- ब्रिटेन में भारत परिषद् को समाप्त करने का प्रावधान।

Scanned by CamScanner

1935 से 1939 के मध्य कांग्रेस

- 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव में भाग ले या न ले इसको लेकर कांग्रेस में दो दृष्टिकोण उभरा एक तरफ राजगोपालाचारी, एम. ए अन्सारी जैसे नेता जो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में थे दूसरी तरफ सुभाषचन्द्र बोस एवं अन्य समाजवादी नेता चुनाव में भाग लेने के विरुद्ध थे।
- 1936 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन – अध्यक्ष-जवाहर लाल नेहरू (50वाँ अधिवेशन)
  चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी।
- 1936 में फैजपुर अधिवेशन – अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू (महाराष्ट्र - गाँव) ग्रामीण अधिवेश पहली बार
  - किसानों एवं कृषि में सुधार को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किए गए।
- 1937 में प्रांतीय चुनाव में 11 प्रांत -

  बंगाल असम बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्यप्रांत उड़ीसा मद्रास, बाम्बे, सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत -
- पांच प्रांत में कांग्रेस को बहुमत, बाम्बे में बहुमत के नजदीक तथा इन 6 प्रांतो के अलावा सिंध असम में भी कांग्रेस सरकार में शामिल हुई।

Scanned by CamScanner

- पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार - सिकंदर हयात खाँ (CM)
- बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार - फजलुल हक (CM)
- उत्तर प्रदेश में जमींदारों की नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी, डॉ अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का बाम्बे में अच्छा प्रदर्शन रहा।
- मुस्लिम लीग एवं हिन्दू महासभा का चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों के कार्य :-

- राजनीतिक बंदियों की रिहाई।
- प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित किया गया
- सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जारी आपातकालीन आदेशों को समाप्त किया गया, जब्त किए गए हथियारों को वापस किया गया।
- साम्प्रदायिक दंगो से कठोरता पूर्वक निपटा गया।
- कुछ क्षेत्रो मे शराबबंदी को लागू किया गया।
- हरिजन उत्थान के लिए कई कार्य किए गए जैसे- छात्रवृत्ति, सरकारी सेवा में भागीदारी इत्यादि।

Scanned by CamScanner

- बेसिक शिक्षा के विकास के लिए भी कदम उठाए गए। किसानों एवं मजदूरों की दशा में सुधार के लिए कार्य किए गए।

महत्व :-

- अंग्रेजो के द्वारा स्थापित यह धारणा कमजोर हुई कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं हैं।
- राष्ट्रीय सरकारों के कारण ICS अधिकारियों का मनोबल कम हुआ।
- जिस प्रकार कांग्रेस ने लोक कल्याण के लिए कार्य किया उससे यह धारणा और मजबूत हुई कि पूर्ण स्वतंत्रता से ही भारत का विकास संभव है।
- आम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि वे आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। (इसका मनोवैज्ञानिक महत्व था)
- चुनाव में कांग्रेस की सफलता और आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस की व्यापक सफलता ने यह स्पष्ट था कि कांग्रेस का व्यापक जन समर्थन है और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट :- कांग्रेसी सरकारों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत का शामिल किए जाने के विरुद्ध त्यागपत्र दे दिया। (अक्टूबर 1939)

Scanned by CamScanner

जिन्ना ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।

- इस चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग एवं हिन्दू महासभा ने जनाधार बढ़ाने के लिए आक्रामक नीति अपनाई।

1938 - हरिपुरा (गुजरात) अधिवेशन - अध्यक्ष - सुभाषचन्द्र बोस

Scanned by CamScanner